पंचायत निगरानी संख्या : 476/2024
उनवान : विकास अधिकारी बाली बनाम मदन कुंवर अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 476/2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024/616

प्रार्थी :–		अप्रार्थीगण :–
विकास अधिकारी पंचायत समिति बाली	बनाम	1. मदन कुंवर पत्नी महावीरसिंह निवासी दूदनी तह. बाली जिला पाली राज. 2. सरपंच ग्राम पंचायत दूदनी

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरुद्ध ग्राम पंचायत दूदनी द्वारा मिसल संख्या 138/2016–17 में जरिये प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 05.09.2019 के द्वारा जारी पट्टा संख्या 39 दिनांक 13.09.2019 को निरस्त करवाने बाबत्।

उपस्थितिः–

1. प्रार्थी स्वयं उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री नरपतसिंह चौहान।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

–:निर्णयः–

दिनांकः 20.08.2025

प्रार्थी विकास अधिकारी प.स. बाली की ओर से पंचायत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,1994 के तहत **ग्राम पंचायत दूदनी द्वारा मिसल संख्या 138/2016–17 में जरिये प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 05.09.2019 के द्वारा जारी पट्टा संख्या 39 दिनांक 13.09.2019 को निरस्त** करवाने बाबत् पेश की गई।

प्रार्थी की ओर से पंचायत निगरानी विरुद्ध अप्रार्थीगण निम्नांकित अनियमितताओं के कारण प्रस्तुत की गईः–

- यह है कि अप्रार्थी संख्या दो ने अप्रार्थी संख्या एक को सरपंच ग्राम पंचायत दूदनी के पद पर रहते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 (1) के तहत पट्टा संख्या 39 दिनांक 13.09.2019 को जारी किया गया है। जिसमें निम्न प्रकार की अनियमितताएं बरती गईः–

1. **मदनकुंवर पत्नि महावीरसिंह/खीमसिंह दुदनी का पट्टा ग्राम पंचायत** दूदनी से पट्टा क्रमांक **39** जरिये मिसल संख्या **138/2016–17** द्वारा जारी किया गया है जिसका ग्राम पंचायत के प्रस्ताव संख्या **01 दिनांक 05.09.2019** में पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 (1)(ख) के तहत पट्टा शूल्क 200.00/– रुपये लेकर पुराने गृहों का विनियमितिकरण कर पट्टा जारी करने का निर्णय लिया गया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर में मदनकुंवर/महावीरसिंह के नाम से दिनांक 20.04.2017 को दायर करना अंकित है जिसमें

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 476/2024
उनवान : विकास अधिकारी बाली बनाम मदन कुंवर अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

आवेदन शुल्क जमा नहीं कर पत्रावली दर्ज की हुई है। पत्रावली में आवेदक का पट्टा बनाने का आवेदन पत्र सलंन नही है। पत्रावली में दिनांक 05.07.2019 को आज्ञाओ की सूची में भूमि किस्म का प्रमाण प्राप्त करने का लिखा हुआ है लेकिन पत्रावली के साथ लगा हुआ नहीं है। वार्ड पंचो की मौका निरीक्षण कमेटी रिपोर्ट में मौके की स्थिति का उल्लेख किया हुआ नहीं है। नियम 148 में मौका दिनांक 05.07.2019 आपत्ति मांगने के सूचना पत्र प्रारुप–22 में जारी किया गया है लेकिन सहज दृश्य स्थल पर चस्पा कर दो मौजुद व्यक्तियों के हस्ताक्षर किये हुए नहीं है। मौके पर मकान 50 वर्षों के दौरान होने सम्बन्धित साक्ष्य बाबत सरपंच के निर्णय पत्र के अतिरिक्त किसी भी गवाह के बयान लगे हुए नहीं है। जांच कमेटी द्वारा मौका स्थिति देखने पर मकान निर्मित है। भूमि किस्म की राजस्व विभाग से प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार पट्टे की भूमि गैर मुमकीन आबादी भूमि है। परन्तु मिशल पत्रावली में प्रक्रिया पूर्ण नहीं की गई है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

प्रस्तुत निगरानी याचिका दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटीस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से काबिल अधिवक्ता श्री नरपतसिंह चौहान उपस्थित। अप्रार्थी संख्या दो बावजुद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही प्रभाव में लाई जाती है। प्रकरण से सम्बन्धित मूल रिकॉर्ड तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया तथा अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से बहस सुनने का निश्चय किया गया।

वक्त बहस प्रार्थी ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि आलोच्य पट्टा संख्या 39 के सम्बन्ध में मिसल संख्या 138/2016–17 में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के आज्ञापक प्रक्रियात्मक प्रावधानों की पूर्णतः पालना नहीं की गई है। आवेदन पत्र एवं आवेदन शूल्क प्राप्त किये बिना ही मिसल कायम की गई तथा नियम 148 की पूर्वापेक्षा में आपत्ति इश्तिहार पर दो व्यक्तियों के हस्ताक्षर भी अंकित नही है। यह भी, कि कब्जे एवं कब्जा अवधि के सम्बन्ध में बिना कोई साक्ष्य लिए मात्र सरपंच द्वारा अंकित कर नियम 157 में आलोच्य पट्टा विलेख निष्पादित किया गया है, जो काबिल खारिज है।

काबिल अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष द्वारा उपरोक्त तर्कों का खण्डन करते हुए वक्त बहस निवेदन किया गया कि आलोच्य पट्टा विलेख ग्राम पंचायत के क्षेत्राधीन गैर मुमकीन आबादी भूमि में निष्पादित है तथा मौके पर अप्रार्थीया अर्थात् पट्टाधारी का मकान भी निर्मित है एवं उक्त तथ्यों को स्वयं याची पक्ष द्वारा निगरानी याचिका में स्वीकार भी किया गया है। मात्र प्रक्रियात्मक त्रुटियों जैसे आधारहीन कथनों पर पट्टा विलेख को चुनौति दी गई है जबकि ग्राम पंचायत द्वारा सम्पूर्ण प्रक्रिया की पालना करते हुए विधिपूर्ण ढंग से सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की गई है, अतः निगरानी याचिका खारिज फरमाई जाए।

उभयपक्षकारों की बहस सुनी गई तथा तर्कों पर मनन किया गया। निगरानी याचिका में अंकित कथनों तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 476/2024
उनवान : विकास अधिकारी बाली बनाम मदन कुंवर अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

याची द्वारा जैर निगरानी आलोच्य पट्टा विलेख को मुख्यतः प्रक्रियात्मक आधारों पर चुनौति दी गई है। प्रार्थी द्वारा चूंकि याचिका में उल्लेखित जॉच रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति सलंग्न प्रस्तुत नहीं की है, अतः इस सम्बन्ध में मिसल संख्या 138/2016–17 का गहन अवलोकन किया गया, जिसमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण तथ्य उभरकर सामने आते हैः–

1. सम्पूर्ण मिसल में अप्रार्थीया श्रीमती मदनकुंवर की ओर से पट्टा बनाने हेतु कोई आवेदन सलंग्न नही है और न ही आवेदनशुल्क तथा नक्शा शुल्क जमा करने के प्रमाणस्वरुप कोई रसीद ही सलंग्न है। सुनवाई के दौरान अप्रार्थीपक्ष द्वारा भी ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके आधार पर इस सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल उपधारणा की जा सके। अतः याचीपक्ष का यह तर्क प्रमाणित पाया जाता है कि हस्तगत प्रकरण में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1956 के नियम 145 की पालना किए बिना ही ग्राम पंचायत दूदनी द्वारा मिसल संख्या 138/2016–17 कायम की जाकर कार्यवाही निष्पादित की गई है।
2. सम्पूर्ण मिसल में पूर्वोक्त नियम, 1996 के नियम 146 की पूर्वापेक्षा में स्थल निरीक्षण हेतु तीन पंचों के मनोननयन का कोई आदेश सलंग्न नहीं है, स्थल निरीक्षण रिपोर्ट पर भी सरपंच के अतिरिक्त किन्हीं दो व्यक्तियों के ही हस्ताक्षर है।
3. राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 148 में यह आज्ञापक रुप से उपबन्धित है कि आपतियां आमंत्रित करने के नोटीस पर चस्पानगी की तस्दीक के रुप में दो व्यक्तियों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। हस्तगत मिसल में सलंग्न आपत्ति इश्तिहार प्रारुप–22 नियम 148 पर न तो दिनांक अंकित है और न ही चस्पानगी की तस्दीक किसी व्यक्ति द्वारा की गई है, अतः यह प्रमाणित पाया जाता है कि आलोच्य मिसल में नियम 148 की पालना नही की गई है।
4. आलोच्य पट्टा नियम 157 में जारी किया जाना निर्विवाद है;राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 में नियमों के प्रारम्भ से पचास वर्ष तथा 31.12.2016 से सत्तर वर्ष पूर्व की अवधि के निर्मित गृह/मकान के विनियमितिकरण का प्रावधान है, किन्तु हस्तगत मिसल संख्या 138 में प्रत्यर्थी के हक में पट्टा विलेख निष्पादित करने से पूर्व उक्त अवधि के कब्जे बाबत् कोई साक्ष्य, यथा गवाहों/पडौसियों के बयान आदि नहीं लिये गए एवं सरपंच ग्राम पंचायत दूदनी द्वारा बिना किसी वैध आधार के 60 वर्ष पूर्व का कब्जा होना अंकित करते हुए नियम 157 में पट्टा विलेख निष्पादित करने का निर्णय लिया गया, जो कि अवैधानिक तथा शून्यकरणीय है।

उपरोक्त विश्लेषण एवं वजूहातों के अनुसार प्रार्थी विकास अधिकारी प.स. बाली द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका में अंकित तथ्य प्रमाणित पाये जाते है कि मिसल संख्या 138 में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के आज्ञापक प्रक्रियात्मक प्रावधानों की अवहेलना में कार्यवाही सम्पन्न की गई है।

अतः हस्तगत पंचायत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत दूदनी द्वारा मिसल संख्या 138/2016–17 में पारित संकल्प संख्या 01 दिनांक 05.09.2019 तथा इसके अनुसरण में निष्पादित पट्टा विलेख संख्या 39

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 476/2024

उनवान : विकास अधिकारी बाली बनाम मदन कुंवर अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

दिनांक 13.09.2019 बज़तरफ श्रीमती मदनकुंवर अपास्त किये जाते है। साथ ही प्रकरण ग्राम पंचायत दूदनी को पुनप्रेषित कर निर्देश दिए जाते है कि अप्रार्थीया के कब्जा इत्यादि के सम्बन्ध में साक्ष्य लेकर तथा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के अध्याय 9 में विहित प्रक्रिया की पूर्णतः पालना करते हुए दो माह के भीतर नए सर विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत दूदनी को यह भी निर्देश दिए जाते है कि अपास्त किए गए पट्टा विलेख संख्या 39 (पट्टा बुक संख्या 27) की मूल प्रति पर लाल स्याही से बड़े–बड़े अक्षरों में 'निरस्त' का अंकन किया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 20.08.2025 को सरे इज़लास सुनाया गया। प्रकरण से सम्बन्धित मूल रिकॉर्ड अन्य किसी प्रकरण में आवश्यक नहीं होने पर पुनः लौटाया जाए।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

(शैलेन्द्र सिंह)
RAS
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बाली

अतिरिक्त जिला कलक्टर
बाली

Scanned with OKEN Scanner